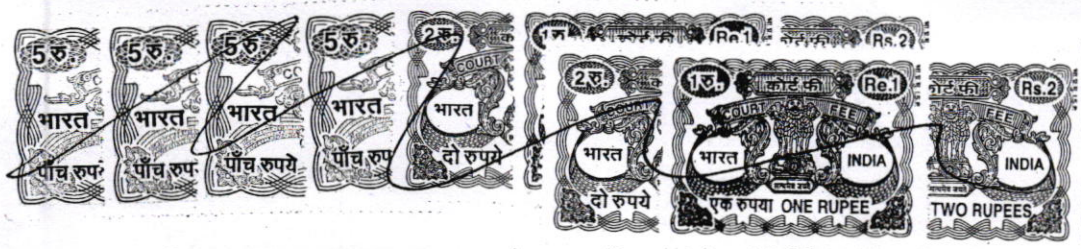

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प, भोपाल

~~निगरानी 3808/ विदिशा/ 2~~ प्रकरण क्र. /2017–18

निगरानी – 3808/2018/विदिशा/भू.रा.

1. शमीम खां, आयु लगभग 60 वर्ष
2. इकबाल खां, आयु लगभग 55 वर्ष
3. शफीक खां, आयु लगभग 50 वर्ष
4. फईम खां, आयु लगभग 45 वर्ष
   क्र. 1 से 4 पुत्रगण श्री चन्दू खां,
5. बतूल बी, आयु लगभग 80 वर्ष
   पत्नी स्व. श्री चन्दू खां,
   सभी निवासीगण– ग्राम मह्, तहसील सिरोंज,
   जिला विदिशा (म.प्र.) .... आवेदकगण

195

विरुद्ध

अभिभावक श्री जे. के. प्रजापति
द्वारा आज दिनांक 11/6/18
को पेश।

1. नौशे खां, आयु लगभग 78 वर्ष
   आत्मज श्री बशीर खां, जाति पठान,
2. मुबारक खां, आयु लगभग 50 वर्ष
3. मुन्नू खां, आयु लगभग 45 वर्ष
   क्र. 2 से 3 पुत्रगण जेतून बी/नज्जू खां
   निवासीगण– ग्राम मह्, तहसील सिरोंज,
   जिला विदिशा (म.प्र.)
4. अतीक खां, आयु लगभग 50 वर्ष
   निवासी– ग्राम मह्, तहसील सिरोंज,
   जिला विदिशा (म.प्र.)
5. नूरन बी, आयु लगभग 60 वर्ष
   पुत्री श्री भीकम खां, पत्नी श्री उस्मान खां,
   जाति पठान, निवासी– मोहल्ला मुरली नगर,
   भोपाल (म.प्र.) .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्र. 56/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खानपुर, पुराना प.ह.नं. 6, तहसील सिरोंज स्थित कृषि भूमि खसरा क्र. 115/2 रकबा 0.316 हेक्टेयर, खसरा क. 116

....2..

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3808/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार सिरोंज के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलंब से अपील पेश की गई साथ ही धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपीलांट नौशेखां को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा-5 अवधि विधान सद्भावना पर आधारित होने से स्वीकार किया जाता है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	